1. मार्च, 1992 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग नामक एक सांविधिक निकाय की स्थापना की गई है जिसका मुख्य कार्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और मॉनीटर करना है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सामाजिक विकास प्रक्रिया निर्माण में सलाह देना है ताकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण विकास और प्रगति से संबंधित अन्य क्रियाकलापों का निष्पादन हो।

2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति न्याय से संबंधित 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र-11 के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए कल्याण मंत्रालय में मॉनीटरिंग कक्ष कार्य कर रहे हैं।

3. प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वियन पर मंत्रिमण्डल सचिवालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है।

4. राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को निधि निर्मुक्त करते समय योजना के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा की जाती है।

5. विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना के अधीन योजनाओं के कार्यान्वियन की विस्तृत समीक्षा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रीय प्रधानों के साथ उस समय की जाती है जब वार्षिक विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना की योजनाओं और परिव्यय को अंतिम रूप दिया जाता है।

6. योजनाओं का मूल्यांकन ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य निकायों के माध्यम से विशेष अध्ययन कराकर किया जाता है।

7. कल्याण के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों/सचिवों की आवधिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

देश में जातिवाद

3581. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक भागों में जातिवाद खतरनाक रूप से पनप रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य वाही की जा रही है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंग्कावालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Rehabilitation of Street Children in Mumbai

3582. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is aware that the coordination Committee of the National Conference on street children held a meeting for street children in Mumbai;

(b) whether Government have received any recommendation from the Committee for rehabilitation of these children; and

(c) whether Government would institute enquiries against persons involved in atrocities made on these children ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do hot arise.

Relaxation in UPSC/SSC Examination

3583. SHRI GHUFRAN, AZAM: Will the Minister of WELFARE be plessed to state :